न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – डॉ. पियुष जैलिया, आर.जे.एस.

रे.फौ. प्रकरण संख्या – 435/2021

सीएनआर नम्बर – RJCT150008902021

एफआईआर संख्या – 194/2021 पुलिस थाना रावतभाटा

राजस्थान राज्य **–अभियोगी**

– बनाम –

01. सेठू कुमार सेन पिता कैलाश चन्द सेन उम्र बालिग निवासी तिलस्वा थाना बिजौलिया जिला भीलवाडा

02. कैलाश चन्द्र सेन पिता नाथुलाल उम्र 64 साल निवासी तिलस्वा थाना बिजौलिया जिला भीलवाडा

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स.

उपस्थित:–

1. श्री सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुन सिंह, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

– निर्णय– **दिनांक:– 04.08.2026**

01. प्रकरण में आहता मंजू पत्नी सेठू व अभियुक्तगण के मध्य धारा 406 भा.द.सं. की हद तक राजीनामा हो गया है तथा अभियुक्तगण पर शेष धारा 498ए भा.द.सं. की हद तक के अपराध का निर्णय पारित किया जा रहा है।

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि श्रीमती मन्जू पत्नी सेतू ने एक इस्तगासा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अभियुक्तगण सेतू, कैलाश, काली बाई, राजू, सीमा, ओमप्रकाश, मैना निवासियान तिलस्वां जिला भीलवाडा के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया का विवाह अभियुक्त सेतू पिता कैलाश सेन के साथ दिनांक 20.03.2017 को रावतभाटा में पूर्ण हिन्दू रीति–रिवाजानुसार अग्नि के समक्ष सात फेरे लगाकर सम्पन्न हुआ। विवाह के समय उसके पिता ने उसे अपनी हैसियत से बढकर दान–दहेज दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल गई और अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती गई। विवाह के थोडे दिन बाद ही अभियुक्तगण उसके सास–ससुर उसे तंग करने लग गय। अभियुक्तगण उसका पति व सास–ससुर उसे कहते कि तेरे बाप ने हमें दहेज में दिया ही क्या है, तेरे पिता के रावतभाटा में प्लांट में जाता है, तुम्हारे रेनखेडा में जमीन भी है, तेरे पिता से पांच लाख रूपये लेकर आ, तभी तुझे रखेंगे नहीं तो तुझे चैन से नहीं जीने देंगे। अभियुक्ता उसकी उसे आये दिन न जाने कौनसी गोलिया देती, जिससे उसका गर्भपात बार–बार गिर जाता था। अभियुक्त उसका पति कहता कि मैं तो दूसरी औरत ले आउंगा। गत वर्ष गुरू पूर्णिमा के एक दो दिन पहले समस्त अभियुक्तगण उसका पति, सास, ससुर, दोनों जेठ–जैठानियों ने उसे घर के अंदर ही घेर कर उसके साथ गाली गलौच की तथा कहा कि तेरे बाप से 5,00,000/– रूपये लेकर आ जा, नहीं तो हम तुझे यहां नहीं रहने देंगे तब उसने अपने पिता को कॉल किया और सारी घटना बताई। उसके पिता ने अभियुक्तो को समझाया कि हम रूपये नहीं दे सकते लेकिन अभियुक्तों ने कहा कि हमे तो पांच लाख रूपये चाहिए नहीं तो तुम्हारी छोरी को तुम्हारे पास रखो, इत्यादि।

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

03. उक्त इस्तगासा के आधार पर थाना रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 194/2021 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स. के तहत दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

04. बाद पत्रावली अवलोकन अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 02 गवाहों को पेश कर परिक्षित करवाया गया, जो निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	**गवाह संख्या**	**गवाह नाम**
1.	पी.ड.1	मंजू सैन
2.	पी.ड.2	बृजमोहन

06. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी निम्न दस्तावजों को प्रदर्शित करवाया गया –

क्रम	**प्रदर्श संख्या**	**दस्तावेज**
1.	प्रदर्शपी.1	परिवाद
2.	प्रदर्शपी.2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्शपी.3	पुलिस बयान मंजू

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

07. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं आने व पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने तथा अन्य गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहने से शेष साक्ष्य अभियोजन बंद की गई तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रकट नहीं होने से धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तगण का परिक्षण नहीं किया जाकर बहस अंतिम सुनी गई, जिस पर अभियोजन अधिकारी ने अनापत्ति जाहिर की।

08. दौराने बहस अंतिम अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय से निवेदन किया कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं आई है। प्रकरण में मुख्य गवाह अभियोजन कहानी के विपरीत कथन करते है। प्रकरण में आहता एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर अभ्यारोपित आरोप से दोषमुक्त किया जावे। जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को अभ्यारोपित आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

09. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू –

'' क्या अभियुक्तगण ने परिवादिया मंजू सेन से दिनांक 20.03.2017 को मौजा रावतभाटा में वैध विवाह करने के पश्चात परिवादिया के पति, ससुर रहते हुए परिवादिया से 5,00,000/– रूपये की मांग दहेज के रूप में कर परिवादिया को शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की ?''

यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

10. पत्रावली पर उपलब्ध बयानों, दस्तावेजों, बहस अंतिम के आलोक में न्यायालय का निष्कर्ष:–

– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया मंजू सैन द्वारा अभियुक्तगण से धारा 406 भा.द.सं. की हद तक राजीनामा किया जा चुका है तथा हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आई साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

11. प्रकरण की प्रार्थीया मंजू सैन पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हूई है, जिसने स्वयं का विवाह सेतू सेन के साथ दिनांक 20.03.2017 को होना कथन किया है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह भी अभिकथित किया है कि पहले वे थोडे दिन प्रेम से रहे लेकिन बाद में छोटी–छोटी बातों पर विवाद होने लगा इसलिए उसने आवेश में आकर परिवाद पेश करवा दिया था। गवाह ने कथन किया है कि परिवाद प्रदर्श पी.1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह अभिकथित किया है कि उनके बीच राजीनामा हो गया है इसलिए अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहती है तथा उसने स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार गवाह के बयानों से परिवादिया व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाना तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहना जाहिर होता है।

12. पी.ड.2 के रूप में बृजमोहन परीक्षित हुआ है जो कि परिवादिया का पिता है, जिसने अपनी बेटी मंजू की शादी सेतू सेन के साथ दिनांक 20.03.2017 को होना, उनके बीच छोटी–छोटी बातों को लेकर विवाद होना तथा उसकी बेटी द्वारा परिवाद पेश करना अभिकथित किया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि उसकी बेटी व सेतू के बीच राजीनामा हो गया है। गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह

महत्वपूर्ण साक्ष्य दी है कि दहेज प्रताडना संबंधित उसके सामने कोई घटना नहीं घटी। साथ ही गवाह ने यह भी अभिकथित किया है कि उसकी पुत्री ने स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है।

13. इस प्रकार प्रकरण में कोई ऐसा स्वतंत्र गवाह नहीं है जिसने दहेज मांगे जाने के तथ्यों की पुष्टि की हो। इस आधार पर जब यह देखा जाना है कि क्या परिवादिया ने अभियोजन कहानी की संपुष्टि की है। इसके संबंध में परिवादिया मंजू सेन पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसके द्वारा केवल मात्र छोटी–छोटी बातों पर कहासुनी होने का कथन किया है तथा आवेश में आकर परिवाद पेश करवा देने का कथन किया है। उक्त गवाहों ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनके आपस में राजीनामा हो गया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह पी.ड.2 बृजराज ने यह कथन किया है कि दहेज प्रताडना संबंधित उसके सामने कोई घटना नहीं घटी। इस प्रकार प्रार्थीया ने स्वयं के साथ किसी प्रकार की मारपीट व उसके सास–ससुर द्वारा दहेज की मांग करने का कथन करने के संबंध में उसने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किये। इस आधार पर परिवादिया मंजू सेन की साक्ष्य की संपुष्टि स्वयं परिवादी ने ही नहीं की है तथा अन्य गवाहों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

14. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.द.स. के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

–<u>आदेश</u>–

15. अतः परिणामस्वरूप **01. सेतू कुमार सेन पिता कैलाश चन्द सेन उम्र बालिग निवासी तिलस्वा थाना बिजौलिया जिला भीलवाडा 02. कैलाश चन्द्र सेन पिता नाथुलाल उम्र 64 साल निवासी तिलस्वा थाना बिजौलिया जिला भीलवाडा** को आरोपित अपराध **अन्तर्गत धारा 498ए भा.द.स**. में **संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त** घोषित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को अपराध धारा 406 भा.द.सं. में पूर्व में जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

16. अभियुक्तगण के नियमित पेशी बाबात` लिये गये जमानत मुचलके अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु धारा 437ए सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए 06 माह तक प्रभावी रहेंगे तथा उक्त जमानत मुचलके 06 माह पश्चात् स्वतः निरस्त समझे जाये।

17. प्रकरण में यदि कोई जप्तशुदा माल हो तो बाद गुजरने मियाद अपील/रिविजन नियमानुसार निस्तारित किया जाने बाबत् तहरीर जारी हो।

18. हस्तगत प्रकरण के तथय तथा परिस्थतियां राजस्थान पीडित प्रतिकर के प्रावधानों को आकृष्ट नहीं करते हैं, अतः पीडित प्रतिकर के तहत प्र्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

(डॉ. पियुष जैलिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।

19. निर्णय आज दिनांक 04.08.2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(डॉ. पियुष जैलिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

मेरे द्वारा मूल प्रति से सत्यापित किया गया।